न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 48/2023

अपीलांटगण–

1. सुखाराम पुत्र प्रभुराम जाति मेघवाल, निवासी लादुनगर, जेठंतरी, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 भोलाराम पुत्र प्रभुराम के कामय मुकाम

1.1 सुजाराम पुत्र स्व भोलाराम जाति मेघवाल, निवासी जेठन्तरी तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।

1.2 गीगीदेंवी पत्नी रामाराम पुत्री भोलाराम निवासी पारलू, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

1.3 मेथीदेवी पत्नी शंकरराम पुत्री भोलाराम

1.4 हुआदेवी पत्नी बालकराम पुत्री भोलाराम

1.5 मोकी देवी पत्नी नेमाराम पुत्री भोलाराम

1.6 रूपोदेवी पत्नी नेमाराम पुत्री भोलाराम जातियान मेघवाल निवासियान मेघवालों का वास कनाना तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदड़ी।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश 26.10.2021 जो तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रशासन गांवों के संग केम्प 2021 लादुनगर में आपसी सहमति पर पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री चेलाराम कुमावत व दिनेश कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण की ओर से उपस्थित।

जिला कलक्टर
बालोतरा

निर्णय

दिनांक : 21.05.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार समदड़ी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 26.10.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 27.01.2023 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा लादुनगर हल्का जेठंतरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा नंबर 621, 924/618 के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोंडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.10.2021 को तहसीलदार समदड़ी प्रसाशन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प लादूनगर के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर तहसीलदार समदड़ी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2021 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.01.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. रेस्पोडेंटगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पों भोलाराम ने अपने संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु आपसी सहमति से सुखाराम व भोलराम ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प जेठन्तरी में आवेदन मय विभाजन एग्रीमेंट मय नक्शा पेश किया। जिस पर तहसीलदार समदड़ी ने भूमि को विभाजन करने का आदेश दिनांक 26.10.2021 को किया गया। उक्त विभाजन राजस्व रेकर्ड नक्शा व खतौनी में दर्ज किया गया। वक्त बंटवाड़ा तय हुआ था कि अपीलांट के हिस्से में

जिला कलक्टर
बालोतरा

आने वाली भूमि पर रेस्पोडेंट का टयूबवेल व विद्युत कनेक्शन लगा है, उसे हटा देगें। इसी तरह रेस्पोडेंट के हिस्से में से अपीलांट का कब्जा व निर्माण हटा देंगे। जिसकी पालना में रेस्पोडेंट ने अपना टयुबवेल उस पर बनी तामीर वगैरा को हटाकर अपने बंट में आयी भूमि में नया टयुबवेल खुदवाया, जिसमें रेस्पोडेंट को करीब 5 लाख का खर्चा हुआ। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के बंट में आयी भूमि पर से अपना टयूबवेल वगैरा हटाकर भूमि का कब्जा अपीलांट को सुर्पद कर दिया। रेस्पोंडेंट ने अपीलांट को अपना कब्जा रेस्पोडेंट के हिस्से की भूमि पर हटाने का कहा तो पहले तो उन्होने हटाने के आश्वासन दिया। बाद में गांव के असामाजिक तत्वों के सिखावे में आकर कब्जा व निर्माण हटाने से इन्कार कर दिया। जिस पर समाज के मौजिज शख्सों से समझाईश करवायी लेकिन माने नहीं। अपीलांट ने रेस्पोडेंट की भूमि पर से कब्जा नहीं हटाने की बदनियत से वर्तमान अपील पेश कर देहाती अनपढ व्यक्ति को अदालत में घसीट दिया। उक्त आदेश दिनांक 26.10.2021 का शुरू से अपीलांट को ज्ञान है तथा उक्त आदेश का दिनांक 26.04.2022 को नामान्तरकरण भरवाया गया, उसका भी अपीलांट को ज्ञान है। अपीलांट का पुत्र जबराराम अध्यापक पढा लिखा व्यक्ति है, वो अपीलांट के साथ वक्त बंटवाड़ा व नामान्तरकरण के समय साथ में था। भूमि के बंटवाड़ा में हुई सम्पूर्ण कार्यवाही व तथ्यों का अपीलांट को शुरू से ज्ञान रहा है एवं सहमति से बंटवाड़ा हुआ है। अपील आदेश के 1 माह के भीतर भीतर पेश नहीं हुई है और न ही अपीलांट ने 2 साल की देरी को माकुल कारणों के साथ स्पष्ट ही किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज फरमाया जाकर अपील म्याद बाहर होने से खारीज फरमाया जावे।

5. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस व लिखित बहस में यह कथन किया कि अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की पैतृक भुमि उक्त खसरान मौजा लादूनगर, पटवार हल्का जेठंतरी, तहसील समदड़ी के खसरा संख्या 621, 924/618 कुल रकबा 7.3476 हेक्टयर किस्म चा. दोयम पैतृक कब्जे काश्त की भूमि अवस्थित है। अपीलांट व उतरदाता संख्या 1 ने गांव में प्रशासन गांवों के सग अभियान 2021 का आयोजन होने पर सभी खातेदारान को कब्जे काश्त अनुसार जोत का बंटवाड़ा करवाने का कहा, जिस पर दोनों खातेदार कब्जे काश्त अनुसार जोत का बंटवाड़ा करने को सहमत थे एवं दोनो पक्षकार चुंकि गांव के अनपढ व निरक्षर व्यक्ति थे। अपीलांट व अन्य सहखातेदारों का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 619 व 620 रकबा क्रमशः 0.126 व 0.2276 किस्म क्रमशः गैर मु.बेरा व गैर मु. सड़ा का स्थित

जिला कलक्टर
बालोतरा

है, उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 621, 924/618 के सेढें पर पूर्वी सीमा पर स्थित है, जिसमें अपीलांट का रहवासीय मकान स्थित है। खसरा संख्या 621 की सीमा पर स्थित खसरा संख्या 620 गैर मुं. सड़ा अवस्थित अपने रहवासीय मकान के पास की भूमि पर हस्सा नही देने के साथ ही रास्ते की सुविधा से वंचित रखते हुए उक्त बंटवाडा आदेश पारित किया है, तथा उक्त आलोचित बंटवाड़ा से अपीलांट की ढाणी उतरदाता संख्या 1 के हिस्से में आई खसरा संख्या 621 में चली गई तथा अपीलांट के बड़े बेटे की रहवासीय ढाणी उतरदाता संख्या 1 के हिस्सें मे आई भूमि खसरा संख्या 924/618 में चली गई है। अपीलांट व उतरदाता संख्या 1 की भूमि उनके वास्तविक भौतिक कब्जे काश्त से भिन्न स्थान पर आने के साथ ही उनकी रहवासीय ढाणीयां भी प्रभावित हो गई है। अपीलांट के हिस्से में आई कृषि भूमि के सेढे पर अपीलांट व उतरदाता सख्या 1 सहित अन्य खातेदारों की सामलाती भूमि खसरा संख्या 619 रकबा 0.0126 किस्म गैर मु. बेरा व खसरा संख्या 620 रकबा 0.2276 किस्म गैर मु. सड़ा की स्थित है एवं उक्त भूमि जो सार्वजनिक जल स्रोत है, जिसके उपयोग उपभोग हेतु अपीलांट की ढाणी से आवागमन का रास्ता उक्त आलौचय बंटवाडा आदेश में नहीं रखा गया। अपीलांट के हिस्से में आई भूमि से गै.मु. बेरा व गैर मु. सड़ा की भूमि खसर संख्या 619 व 620 तक आने जाने का रास्ता नहीं देकर उसके मध्य उतरदाता का हिस्सा निर्धारित किया है। इस प्रकार अपीलांट के खेत से उसकी ढाणी व जल स्रोत तक आवागमन हेतु रास्ते की सुविधा से वंचित रखते हुए उक्त बंटवाड़ा आदेश पारित किया है, इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त योग्य है।

6. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि खातेदारान अपने कब्जे काश्त अनुसार ही 50 वर्षों से भी ज्यादा समय से वादग्रस्त आराजी पर काबिज है। इसलिए उन्हें बंटवाड़ा गलत होने की जानकारी ही नहीं थी। अभी उतरादाता संख्या 1 ने अपने हिस्से में आई भूमि का सीमाज्ञान राजस्व अधिकारियों से करवाया तब उतरदाता संख्या 1 को यह ज्ञात हुआ कि मेरा ट्यूबवेल मेरे भाई अर्थात अपीलांट के हिस्से में आई भूमि में चला गया है। उक्त सीमाज्ञान के सीमा चिन्ह मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन उतरदाता संख्या 1 का पुत्र सुजाराम पटवारी के चैनमेन है जिसने खाली पेपर पर अपीलांट अंगुष्ठ निशान करवाये थे। इस प्रकार उक्त आलोच्य बंटवाडा भौतिक कब्जे काश्त के विपरित पारित हुआ है एवं इससे अपीलांट के बेटे का रहवासीय मकान उतरदाता संख्या 1 के हिस्से में चला गया तथा

जिला कलक्टर
बालोतरा

अपीलांट का पुश्तैनी रवासीय मकान जो खसरा संख्या 620 में स्थित है, तक आवागमन हेतु रास्ते की सुविधा से वंचित रखते हुए उक्त बंटवाडा आदेश पारित किया है। अपीलार्थी को उक्त गलत बंटवाड़ा आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी, हाल ही में उत्तरदाता संख्या 1 ने अरसा एक माह पूर्व अपने ट्युबवेल के पाईप बाहर निकालकर दुसरी जगह पर लेकर गए, तब अपीलांट को ज्ञात हुआ कि उक्त आलौच्य बंटवाड़ा कब्जा काश्त के विपरित हुआ है, जिस पर अपीलांट ने उत्तरदाता संख्या 1 को आलोच्य बंटवाडें से स्थापित हुई गलत तरमीम को आपसी सहमति से दुरूस्त करवाने का निवेदन किया तब उत्तरदाता ने भी इससे हामी भरी लेकिन बाद में अपने कथनों से मुकर गए। उक्त तथ्यों की जानकारी होने पर अपीलांट ने तहसील कार्यालय से संपर्क कर राजस्व रिकोर्ड की नकल लेने हेतु आवेदन पेश किया। अपीलार्थी को दिनांक 10.01.2023 को प्राप्त हुई। अपीलांट की अपील स्वीकार कर आलोच्य बंटवाड़ा आदेश दिनांक 26.10.2021 को निरस्त कर विवादित आराजी में अपीलांट के कब्जे काश्त के साथ ही रास्ते की सुविधा देते हुए पूर्व में स्थापित रहवासीया ढाणियों को मध्यनजर रखते हुए विधिक हक अनुसार लगान व जोत का अंकन पुनः राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें। इस प्रकार उक्त आलोच्य अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

7. रेस्पोडेंटगण के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की पैतृक भुमि जो कि मौजा लादूनगर, पटवार हल्का जेठंतरी, तहसील समदड़ी के खसरा संख्या 621, 924/618 कुल रकबा 7.3476 हेक्टयर किस्म चा. दोयम पैतृक कब्जे काश्त की भूमि अवस्थित है। अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण को स्व. प्रभुराम से विरासत में प्राप्त हुई है, जो संयुक्त खातेदारी की थी। उक्त आलोच्य बंटवाड़ा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के सहमति से प्रशासन गांवों के संग में किया है। तहसीलदार समदड़ी द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट की सहमती के आधार पर डिक्री पारित की गई। इसके बाद म्यूटेशन भरा गया। अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील सारहीन व आधारहीन होने के साथ मयाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

8. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 प्रस्तुत किया एवं अपीलांट अधिवक्ता द्वारा कथन में अपीलार्थी को उक्त गलत बंटवाड़ा आदेश की जानकारी पूर्व में नही थी

जिला कलक्टर
बालोतरा

एवं बंटवाड़ा प्रपत्र मय नक्शें की प्रमाणित प्रतियां अपीलार्थी को दिनांक 10.01.2023 को प्राप्त हुई। अधिवक्ता रेस्पों के कथन में उभय पक्षकारान के सहमति से 26.10.2021 को उक्त आदेश पारित किया गया एवं उक्त आदेश का म्युटेश दिनांक 26.04.2024 को भरा गया, इस हेतु भूमि के बंटवाड़ा में हुई सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलांट को शुरू से ज्ञान रहा है। हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 पर बहस सुनी एवं मनन किया कि जिससे यह स्पष्ट होता है कि आलोच्य खसरा संख्या 619 व 620 पर अपीलांट व रेस्पोडेंट के साथ ही अन्य सहखातेदारान का शामलाती परम्परागत जल स्त्रोत व पुश्तैनी निवास है। उस भूमि तक अपीलांट की पहुंच का रास्ता अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख के विभाजन मानचित्र में नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

9. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा लादूनगर तहसील समदड़ी के खेत खसरा नंबर 621, 924/618 कुल रकबा 7.3476 बीघा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोंडेंटगण द्वारा तहसीलदार समदड़ी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार समदड़ी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2021 को पारित किया गया। अपीलांट की अपील एवं रेस्पोडेंट्स संख्या 1 के अनुसार इस विभाजन इकरारनामा में भूमि के विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नहीं करवाई गई। साथ ही आलोच्य खसरा संख्या 619 व 620 पर अपीलांट व रेस्पोडेंट के साथ ही अन्य सहखातेदारान का शामलाती परम्परागत जल स्त्रोत व पुश्तैनी निवास है। उस भूमि तक अपीलांट की पहुंच का रास्ता अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख के विभाजन मानचित्र में नहीं दर्शाया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया अपीलांट को सुखाचार की सुविधा नहीं मिलना पाया गया है। इस प्रकार तहसीलदार समदड़ी द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही

जिला कलक्टर
बालोतरा

अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

10. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार सगदड़ी द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 26.10.2021 अपास्त किया जाता है। लिहाजा प्रकरण तहसीलदार सगदड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

11. निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा